SCMS-2023/64

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

कुलदीप बनाम स्टेट

निगरानी प्रकरण सं0 06/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
02.03.2023	निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया चक 3EEA के मुरब्बा नंबर 37 के किला नंबर 1 में खाला बना हुआ है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश करके निवेदन है कि निगरानी के लम्बनाकाल के दौरान अप्रार्थी के विरुद्ध स्थगन आदेश इस आशय का जारी फरमाया जावे कि चक 3EEA के मुरब्बा नंबर 37 के किला नंबर 1 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन निगरानीकर्ता के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरनिगरानीकर्ता को पाबन्द किया जाता है कि वे निगरानीधीन चक 3EEA के मुरब्बा नंबर 37 के किला नंबर 1 में चल रहे खाले के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 28.03.2023 को पेश हो। हस्ता० अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	2015 4413
28.3.23	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश [illegible] द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत. शामिल हो। प्रार्थनापत्र O1R10 CPC धारा 151 सीपीसी पूर्व में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें अप्रार्थी तहसील की ओर से अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत. पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थनापत्र O1R10 CPC दिनांक 3/4/23 को पेश हो। हस्ता०	
3/4/23	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर/प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] दिनांक 26/4/23 को पेश हो। हस्ता०	
26/4/23	पीठासीन अधिकारी [illegible] प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] दिनांक 15/5/23 को पेश हो। हस्ता०	

07/11/23, 19/1/24, 27/2/24, 13/3/24, 03/4/24, 24.4.24, 03.5.24, 13.5.24, 20/5/24, 29/5/24, 05.6.24, 14/6/24, 21/6/24, 08/7/24, 22/7/24, 05.8.24, 23.8.24, 23.9.24, 16/10/24, 28/10/24, 9/12/24, 23.12.24

05.8.24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.8.24 को पेश हो।

23/8/24 पीठासीन अधिकारी अवकाश ~~प्रथम~~ पर .... ~~कार्य में व्यस्त है।~~ ~~पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है।~~ पत्रावली दिनांक 23.9.24 को पेश हो।

23.09.24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.10.24 को पेश हो।

16/10/24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस हेतु अवसर ~~चाहा~~ गया। ~~पक्ष~~ न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.10.24 को पेश हो।

28.10.24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा गया, जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09.12.24 को पेश हो।

09.12.24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा गया, जो दिया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.12.24 को पेश हो।

Holdress

23/12/24

SK Arne

23/12/2024

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलार्थी कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है, इस कारण उपरोक्त शिर्षक की पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखगार में जमा कराने का आदेश दिया जाना न्यायेचित है साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता

ने अपील नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण एवं पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर